



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 43 वर्ष 2026

राज नारायण यादव

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग, लखनऊ के माध्यम से
और 3 अन्य उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राकेश कुमार सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता : प्रत्यूष चौबे (एस.सी.), अजय कुमार सिंह राज

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति जसप्रित सिंह

- जनहित में याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत डीपीएस स्कूल से हरि राम के भूखंड तक आरसीसी सड़क का निर्माण पूरा करे, जो गांव दकाही, तहसील लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में चक मार्ग गटा संख्या 331 पर स्थित है।
- दिनांक 22.01.2026 के आदेश द्वारा, राज्य की ओर से उपस्थित वकील को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने अन्य बातों के अलावा यह निर्देश प्रस्तुत किए हैं कि प्रश्नगत चक मार्ग की भूमि का सीमांकन किया जा चुका है और वह भूमि खाली पड़ी है तथा उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।
- नगर पंचायत, जिसे आरसीसी सड़क के निर्माण का संकेत देना आवश्यक है, ने अपने निर्देशों में यह बताया है कि राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किए जाने के बाद, संबंधित फर्म को संबंधित आरसीसी सड़क को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
- नगर पंचायत की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि निर्माण कार्य में लगभग दो महीने का समय लगने की संभावना है।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया जाता है। प्रतिवादी नगर पंचायत को निर्देश दिया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि निर्माण कार्य दो माह के भीतर पूरा हो जाए।
- असफल होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को पुनर्जीवित कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2026
राज/एएचए

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (अरुण भंसाली मुख्य न्यायाधीश)

16 फरवरी,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"